

कुलपतियों का चयन

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने एक फैसले में कहा कि कुलपतियों के पास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिये और उसके नाम की सफ़ारिश एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा की जानी चाहिये।

- न्यायालय ने विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 10(3) का उल्लेख किया जिसमें प्रावधान था कि समिति को उनकी पात्रता और योग्यता के आधार पर कुलपतियों के रूप में नयुक्तों के लिये तीन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करनी चाहिये।

कुलपतियों की नयुक्तियों की प्रक्रिया:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियम, 2018 के अनुसार, एक विश्वविद्यालय का कुलपति, सामान्य रूप से, विधिवत गठित खोज सह चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन से पाँच नामों के पैनल से वजिटि/चांसलर द्वारा नयुक्त किया जाता है।
- किसी भी वजिटि के पास यह अधिकार होता है कि पैनल द्वारा सुझाए गए नामों से असंतुष्ट होने की स्थिति में वह नामों के एक नए सेट की मांग कर सकता है।
- भारतीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में, [भारत का राष्ट्रपति](#) सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का पदेन वजिटि होता है और राज्यों के [राज्यपाल](#) संबंधित राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं।
- यह प्रणाली सभी विश्वविद्यालयों में अनविरूप रूप से एक समान नहीं है। जहाँ तक अलग-अलग राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का संबंध है, उनमें भिन्नताएँ होती हैं।
- यदि [राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम](#) और [UGC विनियम, 2018](#) के बीच मतभेद होता है जिसमें राज्य का कानून प्रतिकूल है, तो UGC विनियम, 2018 मान्य होगा।
 - [अनुच्छेद 254 \(1\)](#) के अनुसार, यदि किसी राज्य के कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान के विरुद्ध है, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिये संक्षिप्त है या [समवर्ती सूची](#) में किसी भी मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून के साथ है, तो [संसदीय कानून राज्य के कानून पर हावी होगा](#)।

कुलपतियों की भूमिका:

- विश्वविद्यालय के संविधान के अनुसार, [कुलपति \(VC\)](#) को 'विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी' माना जाता है।
- विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में, उससे विश्वविद्यालय के कार्यकारी और अकादमिक प्रभाग के बीच 'मध्यस्थ' के रूप में कार्य करने की उम्मीद की जाती है।
- इस अपेक्षित भूमिका को सुवर्धित बनाने के लिये विश्वविद्यालयों को हमेशा अकादमिक उत्कृष्टता और प्रशासनिक अनुभव के अलावा मूल्यों, व्यक्तित्व विशेषताओं और अखंडता वाले व्यक्तियों की तलाश रहती है।
- [राधाकृष्णन आयोग \(1948\)](#), [कोठारी आयोग \(1964-66\)](#), [ज्जानम समिति \(1990\)](#) और [रामलाल पारख समिति \(1993\)](#) की रिपोर्टों में समय-समय पर होने वाले बहुप्रतीक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को बनाए रखने में कुलपतियों की भूमिका के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।
- वह न्यायालय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, वित्त समिति और चयन समितियों का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपतियों की अनुपस्थिति में डिग्री प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- यह देखना कुलपतियों का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, विधियों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जाए तथा उसे इस कर्तव्य के निर्वहन के लिये आवश्यक शक्ति प्राप्त होनी चाहिये।

स्रोत: द हिंदू